|| पंचायती राज ||

24

(i) ऐतिहासिक विकास

(ii) 73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन

(iii) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

(iv) पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं लैंगिक न्याय

ऐतिहासिक विकास :-

स्वतंत्र भारत

- औद्योगीकरण
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952)
  (जिला प्रशासन के अन्तर्गत)
  * सकारात्मक परिणाम नहीं मिले

↓

बलवंत राय मेहता (1958) समीति का गठन
(परिणामों को लेकर)

↓ रिपोर्ट

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगो की सहभागिता का अभाव

↓ सिफारिश

त्रि-स्तरीय पंचायती राज की गठन की
(गाँव, ब्लाक तथा जनपद स्तर)

↓

राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में पंचायती राज का गठन

⇒ 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समीति की स्थापना

⇒ अशोक मेहता की समीति ने 2 स्तरीय — खण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर पंचायती राज की सिफारिश

⇒ 1980 में सरकारिया समीति की स्थापना, इसने भी पंचायती राज की सिफारिश की

⇒ 1984 में लक्ष्मीमल सिंघवी समीति का गठन, संविधान में संशोधन की मांग

⇒ 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से संवैधानिक आधार दिया गया

Scanned with CamScanner

भारत में पंचायती राज की पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक विकास :- भारत मुख्यतः

गाँवों का देश है और गाँव के लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी हेतु लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। पंचायती राज्य की मूल मान्यता के अनुसार गाँवों को स्वशासन की ईकाई में परिवर्तित करना है। स्वतंत्र भारत में एक कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत राज्य का मूल उद्देश्य लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना निर्धारित किया गया। अतः पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण लोगों में अपने स्थानीय विषयों के प्रबन्ध के लिए उत्साह और विश्वास की भावना जागृत करना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के द्वारा ही सामुदायिक विकास ज्यादा प्रभावी हो सकता है। पंचायती राज के मान्यता के अनुसार स्थानीय लोग सरकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं और लोगों की सहभागिता के द्वारा विकेन्द्रीत नियोजन भी व्यावहारिक रूप में लागू हो सकता है।

पंचायती राज शासन को संचालित करने का एक प्रशासनिक माध्यम ही नहीं अपितु यह गाँधीवादी दर्शन का मूल आधार है। यह सर्वोदयी समाज का पर्याय है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल सुत्र है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ।

Scanned with CamScanner

25

जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करना था। कृषि की तकनीकि और अन्य तरीको में वृद्धि करना इसका अन्य उद्देश्य था। ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाए उपलब्ध करने का प्रयास किया गया। परन्तु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता अपेक्षित नही रही। इस लिए 1957 मे बलवंत राय मेहता समीति का गठन हुआ। समीति का मूल उद्देश्य यह जांच करना था कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता में मूल बाधाए क्या है। बलवंत राय मेहता समीति के अनुसार भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगो की सहभागिता आवश्यक है। सामुदायिक विकास की असफलता का मूल कारण लोगो की अपेक्षित सहभागिता का अभाव है। अतः मेहता समीति मे लोगो की भागीदारी के लिए पंचायती राज के विकल्प का सुझाव दिया क्योंकि लोगो की सहभागिता के द्वारा —

(i) लोग क्षेत्र की समस्याओं को समझेगे और उनके समाधान का प्रयास करेंगे जो स्थानीय संसाधनो से संभव हो

(ii) जनता विकास कार्यक्रमों को लागू करने में प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगी।

(iii) यह विकास जनता के द्वारा स्वंय किया जायेगा

(iv) लोग इन विकास कार्यक्रमों से सीधे लाभान्वित होगे और

Scanned with CamScanner

इन विभाग कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेंगे।

(v) इससे लोगों में सामाजिक राजनीतिक चेतना में वृद्धि होगी।

पंचायती राज का प्रयोग :— बलवंत राय मेहता समीति की अनुशंसा पर किया गया पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा यह नये भारत के सन्दर्भ में सबसे ऐतिहासिक एवं क्रान्तीकारी समय है। उन्होंने कहा कि वह समय आ गया है कि नियंत्रण और नियोजन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व लोगों को सौंपा जाय। नेहरू ने पंचायती राज को लोकतंत्र की नींव कहा। 1959 में पंचायतों का व्यावहारिक प्रयोग हुआ लेकिन ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। पंचायतों की निम्नलिखित समस्याएं देखी गयी —

(i) विकास की प्राथमिकता में अन्तर

(ii) स्थानीय सरकार के सन्दर्भ में स्पष्टता का अभाव

(iii) बिल का अभाव

(iv) पंचायती राज की संरचना में असमानता होना

(v) नौकरशाही का गैर अनुक्रियाशील (Non-responsive) व्यवहार

Scanned with CamScanner

60 का दशक पंचायती राज के इतिहास में स्थिर काल माना जाता है। परन्तु कुछ राज्यों में पंचायतों का प्रभावी प्रयोग हुआ जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। 60 के दशक में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अनेक समस्याएं विद्यमान थी। 70 के दशक में जनता पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात पंचायती राज को पुनः प्रभावी करने का प्रयास किया गया। पंचायतों के बेहतर कार्यकरण की बाधाओं की पहचान करने के लिए 1978 में अशोक मेहता समीति की स्थापना हुई।

अशोक मेहता समीति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं —

(i) पंचायतों की द्विस्तरीय संरचना को स्वीकार किया गया जिसमें जनपद को मुख्य और मंडल पंचायत को दूसरा स्थान दिया गया।

(ii) समीति ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की अनुशंसा की।

(iii) चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया

(iv) जिले के सभी विकास कार्य जिला परिषद को सौंपना तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व मंडल पंचायत को सौंपा गया।

Scanned with CamScanner

अशोक मेहता समीति की सिफारिशें लागू नहीं हो सकी क्योंकि जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल अल्प रहा। 1980 का दशक भारतीय-राजनीति में अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसमें राज्यों ने स्वायत्तता की मांग उठाई। सरकारिया आयोग ने राज्यों की स्वायत्तता की मांग पर विचार करते हुए कहा कि भारत में पंचायती राज का प्रयोग और प्रभावी होना चाहिए। राजीव गाँधी सरकार ने पंचायती राज को प्रभावी बनाने के लिए एल॰ एम॰ सिंघवी (1986) समीति की स्थापना की। समीति के अनुसार पंचायती राज पूर्ण स्वराज एवं राम राज्य का दर्शन है जिसमें गाँवों को स्वशासित इकाई के रूप में निर्मित किया जायेगा। समीति के अनुसार अब तक की सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि पंचायती राज को मुख्यतः प्रशासनिक कार्यक्रमों और विकास योजनाओं का एक यंत्र मान लिया गया। समीति के अनुसार भारत में लोकतंत्र और विकास दोनों के उत्थान के लिए पंचायती राज आवश्यक है। समीति की अनुशंसाएं निम्न हैं —

(i) पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाय।

(ii) पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप लागू किया जाय

(iii) पंचायती राज के चुनाव निर्धारित समय पर होने चाहिए

Scanned with CamScanner

27

(iv) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन आवश्यक है।

(v) पंचायतो के वित्त की समस्या को दूर करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए

(vi) समीति के अनुसार पंचायतो के चुनाव में राजनीतिक दलो की भागीदारी को हतोत्साहित किया जाय

अंतः 73 वां संविधान संशोधन

——XX——————XX——————XX——————

73वाँ संविधान संशोधन (ग्राम पंचायत)

पंचायती राज संरचना

(i) संरचना ⟶ त्रिस्तरीय ⟹ गाँव ⟶ खण्ड ⟶ जनपद

(ii) चुनाव ⟶ उम्र 21 वर्ष, सभी योग्यता विधानसभा चुनाव की तरह

→ पंचायतो का कार्यकाल - 5 वर्ष

→ पंचायतो के भंग होने की स्थिति में 6 महीने के अन्दर चुनाव

⟹ पंचायतो के निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन

⟹ वित्त की समस्या को दूर करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन, इसका कार्य है – पंचायतो के विभिन्न खण्डो में वित्त का वितरण

→ कर का निर्धारण तथा ~~(राज्य)~~ राज्य और पंचायतो में कर का वितरण

→ राज्य किस प्रकार अनुदान देगा

⟹ 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को पंचायतो के अन्तर्गत किया गया

⟹ पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक एवं लौकिक न्याय का क्रियान्वयन

Scanned with CamScanner

74वां संविधान संशोधन (नगरपालिकाओं के लिए)

नगरपालिकाएं —(i) नगर पंचायत (छोटा शहर)
(ii) नगर पालिका (जिला स्तर)
(iii) नगर निगम (बड़े शहर, वाराणसी, भोपाल, लखनऊ)

18 विषयों को अनुसूची 12 के अन्तर्गत दिया गया है।

नियोजन की इकाईयां → जिला नियोजन समीति की स्थापना → यह समीति ग्राम तथा शहरों दोनो के लिए नियोजन करती है। इसका उल्लेख 74वे संविधान संशोधन में है।

⇒ शेष प्रावधान तथा योग्यता ग्राम पंचायत तथा 73वे संशोधन की तरह है।

जिला नियोजन समीति :- जिला नियोजन समीति से पहले DRDA (District Rural Development Authority) जिला नियोजन का कार्य करती थी जिसका अध्यक्ष IAS अधिकारी होता है।

Scanned with CamScanner